भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 58B/2016-17

हरिश चन्द्र महतो **बनाम** सुधा कुमारी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

11.11.2017

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, खरसावाँ के पत्रांक 571 दिनांक 20.08.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 58 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता हरिश चन्द्र महतो पिता–स्व0 अनन्त प्रसाद महतो ग्राम–झुंझकी थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने हल–बैल खरीदने हेतु क्रेता सुधा कुमारी महतो पति–श्री मांगी लाल महतो, ग्राम–डोरो, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
खरसावां	164	पु0 226 नया 61	पु0 709 नया 1349	0.05 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के अपना नाम से पंजी–II में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 4.62½ एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.05 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 4.57½ एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

11/11/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।